

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 1053 / 2014

संस्थित दि. : 13 / 11 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
अन्तर्गत चौकी उकवा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. दीपक पिता रमेश कोसरिया, उम्र 38 साल, जाति धोबी,
निवासी गुदमा केम्प उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. अरुण जेम्स पिता आनन्द, उम्र 35 साल, जाति ईसाई,
निवासी चर्च के पास उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. बिलसन पिता संतोष कलेत, उम्र 58 साल,
निवासी गुदमा केम्प उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. मिखाईल दीप, पिता अगस्टीन दीप, उम्र 25 साल,
निवासी गुदमा केम्प उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 13 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण पर सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 का आरोप है कि आरोपीगण दिनांक 10 / 11 / 2014 को समय 11::00 बजे स्थान गुदमा केम्प थाना रूपझर के अन्तर्गत सदोष लाभ लेने के आशय से ताश-पत्तों से रुपये-पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी उकवा में पदस्थ प्रधान आरक्षक भाऊराम दिनांक 10.11.2014 को हमराह स्टाफ के साथ ग्राम गस्ती हेतु

रवाना हुआ था तो उसे गस्ती के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गुदमा केम्प में कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों पर दाव लगाकर हार जीत का खेल खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाफ को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबन्दी की तो आरोपीगण 52 ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए पाये गये। आरोपीगण से 52 ताश के पत्ते एवं नगदी 315/- जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध शून्य पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 132/14 अन्तर्गत सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के तहत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपीगण को मेरे द्वारा सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(04) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपीगण दिनांक 10/11/2014 को समय 11:00 बजे स्थान गुदमा केम्प थाना रूपझर के अन्तर्गत सदोष लाभ लेने के आशय से ताश-पत्तों से रुपये-पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(05) आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अपराध क मुख्य विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध स्वेच्छयापूर्वक करना स्वीकार किया।

(06) आरोपीगण द्वारा जुआ अधिनियम की धारा 13 का अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

- (07) आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन द्वारा पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति करने के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
- (08) आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अपराध में दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
- (09) आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।
- (10) प्रकरण में आरोपीगण से जप्त 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे एवं नगदी जप्तुशदा 315/- रुपये राजसात किये जाये। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)